

Helpline No. of RTC BSF Chhawla, New Delhi - 011-25317414
Helpline No. of HQ (Spl Ops) BSF Bhalai, Chhattisgarh - 0788-2265291

न० कार्मिक (भर्ती-अनु०)/परगणसमी आरक्षक (जीडी- 2018) /महानिरीक्षक (विशेष संक्रिया)/छ.ग./2021/
No. Pers (Recrtt-Sec)/ SSC/ CT (GD)-2018/ IG (Spl-Ops) CG/2021/7827 28

भारत सरकार
Government of India
गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs

कार्यालय महानिरीक्षक सामरिक मुख्यालय (विशेष संक्रिया) सीमा सुरक्षा बल छत्तीसगढ़
Headquarters Inspector General, (Spl Ops), Border Security Force, Chhattisgarh
(कार्मिक - भर्ती अनुभाग)
(Pers-Recruitment Section)

बी एस पी उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर/ BSP HS School Building,
एस बी. आई.मार्गदा-उतई शाखा के विपरीत/ Opp SBI Maroda-Utai Br
रिसाली सेक्टर (भिलाई)/ Bhalai Sector (Bhalai)
जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़)/Distt-Durg (C.G) - 490006
दिनांक / Dated, the 10 Mar 2021

Roll No. 6205109845
TOSHAN LAL S/o RAM KUMAR
VILL - BORGAHAN ,PO -ACHOUD ,
TAH GUNDERDEHI ,DISTT- BALOD (CG)
PIN - 491223

सीमा सुरक्षा बल में आरक्षक (जीडी) पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव
OFFER OF APPOINTMENT FOR THE POST OF CONSTABLE (GD) IN BORDER SECURITY FORCE

सीमा सुरक्षा बल में आरक्षक (जीडी) भर्ती 2018 के लिए आपके आवेदन के संबंध में।
Refer your application for recruitment in BSF for the post of Constable (GD)- 2018.

2. सीमा सुरक्षा बल में आरक्षक (जीडी) पद के लिए आपके दवाय दिए गये आवेदन एवं भर्ती संबंधी विभिन्न चरणों में निर्धारित परीक्षाएँ उत्तीर्ण होने के उपरान्त, मुझे आपकी यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि आपका चयन आरक्षक (जीडी) पद पर वेतनमान पी.बी. - 1 ₹0 5,200-20,200 येंड वेतन ₹ 2,000 (पुनर्विहित वेतनमान तात्काल वेतन आयोग के वेतन लेवल - 3 रुपये 21,700- 69,100) हेतु उम्मीद (पोस्टिजनरी) तौर पर किया गया है।

2. With reference to your application for the post of Constable (General duty) in BSF and consequent upon qualifying the prescribed recruitments tests at various stages, I am directed to inform you that you have been provisionally selected for the post of Constable (GD) in the pay scale of Pay Band - 1, Rs. 5,200-20,200/- with grade pay Rs. 2,000/- (revised pay scale after 7th CPC, Pay matrix level -03, 21700 - 69100)

3. उपरोक्त पद पर आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों एवं पतिबंधों के अधीन होगी:-

3. Your appointment to the above post is subject to the following terms and conditions:-

- (क) आप सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 एवं नियम 1969 यथा संशोधित, केन्द्र सरकार के अन्य आदेशों तथा समय-समय पर लागू होने वाले नियमों एवं विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे।
(a) You will be governed by the provisions of BSF Act- 1968 and Rules - 1969 and other Central Government Orders, Rules and Regulations as applicable and amended from time to time
- (ख) प्रारम्भ में आप दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होंगे, जिसे नियोक्ता द्वारा अगली अवधि अथवा अवधियों के लिए बढ़ाया जा सकता है। जिसकी कुल अवधि की अधिकतम सीमा 01 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है, ऐसा किये जाने का कारण लिखित रूप में दर्ज किया जायेगा। परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान, यदि किसी कारणवश नियोक्ता अधिकारी के मत में आप बल के कुशल सदस्य बन पाने के योग्य नहीं पाये जाते हैं तो बिना कोई कारण बताए अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी सेवा समाप्त की जा सकती है।
(b) Initially you will be on probation for a period of two years, which may be extended by the appointing authority for such further period or periods not exceeding one year, for reasons to be recorded in writing. During the period of probation, if the appointing authority considers that you are not likely to become an efficient member of the Force due to any reason, your services can be terminated without assigning any reason or without any advance notice.

- (ग) इस नियुक्ति में भारत के किसी भी भाग अथवा विदेश में सेवा करने का दायित्व समाहित है।
(C) The appointment carries liability to serve in any part of India and abroad.
- (घ) यह पद अस्थायी है, किन्तु भविष्य में इसे स्थायी बना दिने की संभावना है। यदि अस्थायी पद का उन्मूलन हो जाता है तो ऐसे में बिना कोई कारण बताए आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
(d) The post is temporary but likely to be made permanent in due course. In case the temporary post is abolished, your services shall be terminated without assigning any reason.
- (ङ) आपको निर्धारित अवधि में प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। यदि आप अपनी सेवा के 10 वर्षों के भीतर, केन्द्र या राज्य सरकार अथवा अन्य स्थानीय निकायों द्वारा दिये गये लौकरी के किसी ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए जिसके लिए आपको बेअर विलधरेरा बर्तन किया गया हो, या किसी अन्य कारण से सेवादायग का आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो ऐसे में आपके द्वारा प्रशिक्षण लागत अथवा पिछले तीन महीने में प्राप्त वेतन एवं भत्तों में से जो भी अधिक हो, उस राशि का भुगतान किए जाने के बाद ही आपका सेवादायग पत्र स्वीकार किया जाएगा तथा केन्द्र/राज्य सरकारों में घयनीत पद पर प्रचार ग्रहण करने हेतु भार मुक्त किया जाएगा। यदि उस समय तक आपके तीन महीनों की सेवा पूर्ण नहीं हुई हो तो ऐसे में आपके तीन माह के वेतन एवं भत्तों का अकलन आपको उस माह में देय वेतन एवं भत्तों के आधार पर किया जाएगा जिस पद से आप सेवादायग कर रहे हैं।
(e) You will undergo basic recruit training as per prescribed period. In case, you tender resignation from service within a period of 10 years for reasons other than accepting a job under Central/ State Govt. or local bodies for which cadre clearance has been granted, your resignation will be accepted only after refunding training cost or 3 month' pay and allowances (as drawn by you or if you have not completed three months service on the basis of pay and allowances to which you are entitled in the month in which you tender your resignation whichever are higher).

4. उपरोक्त के अतिरिक्त आपकी नियुक्ति पर निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी :-
Your appointment will be further subject to:-

(क) सीमा सुरक्षा बल नियम 1969 के नियम 7 का उपबंध जिसके अनुसार न कोई भी व्यक्ति :-
(a) Provision of Rules 7 of BSF Rules 1969 which envisage that no person :-

- (i) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति / महिला के साथ विवाह किया है अथवा करने का अनुबंध किया है, जिसका पति/पत्नी जीवित है, या
(ii) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or
(ii) जिसने अपनी पत्नी / पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है अथवा विवाह करने का अनुबंध किया है, बल में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि उस व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) के अनुसार यह विवाह वैध है अथवा कोई अन्य आधार मौजूद है जो ऐसा करने वाले व्यक्ति को इस नियम के प्रयातन से मुक्त रखता हो।
(iii) Who, having spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment in the Force, provided that the Central Govt. may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this Rule.

(ख) भारत के संविधान के प्रति निष्ठा / वफादारी की शपथ - ग्रहण (या विहित फार्म में की गई इस आशय की घोषणा)।
(b) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the constitution of India (or making of a solemn or affirmation to the effect in prescribed form).

(ग) उपरोक्त में से किसी भी शर्त के पूरा नहीं होने की स्थिति में, आपके द्वारा दायर किसी भी क्षति अथवा नुकसान के दावे पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
(c) In case, any of above conditions is not fulfilled, the department will not entertain any claim for damages and other losses suffered by you.

(घ) नियुक्ति औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आपको अनुच्छेद - 7 में दिये गये पते पर निम्नलिखित कागजात को मूल रूप में तथा उनमें से प्रत्येक की राजपत्रित अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित की हुई एक-एक छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
(d) You will be required to produce following original documents alongwith a photocopy of each duly attested by a Gazetted officer to address as mentioned at para No. 7 below for completing appointment formalities :-

- (i) शिक्षा तथा अन्य तकनीकी योग्यताओं के प्रमाण - पत्र।
(ii) Certificate of education and other technical qualifications.
(iii) आयु प्रमाण के रूप में मेट्रिक अथवा उसके समकक्ष शिक्षा का प्रमाण - पत्र।
(iv) Matriculation or equivalent certificate as proof of age.

7. You will be examined by Medical officer to detect/discover any disease/disability/accidental injury acquired during the intervening period of initial medical examination and the date of joining and you will be allowed to join only on being found 'FIT'

8. यदि उपर के अनुच्छेदों में वर्णित शर्तों के अनुसार आप नियुक्ति - प्रस्ताव को स्वीकार करने के इच्छुक हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि आप निम्नलिखित स्थान पर दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को संलग्न प्रारूप में जिला मजिस्ट्रेट या उप - मंडलीय मजिस्ट्रेट या उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी परित्र एवं पूर्ववृत्त प्रमाण पत्र के साथ रिपोर्ट करें :-

8. If you are willing to accept this offer of appointment, as per terms and conditions laid down in preceding paragraphs you are advised to report to following place on 01 April' 2021 alongwith Character and Antecedents certificate form District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate or their Superior Officers as per proforma enclosed hereto:-

भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र, सीमा सुरक्षा बल, छावला पो- छावला, नई दिल्ली पिन - 110071	RTC BSF Chhawla, PO- Chhawla New Delhi Pin- 110071
---	--

9. इस विभाग की गलती से अथवा किसी अन्य कारण से नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं होने की अवस्था में यह कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

9. This office will not be held responsible for non-receipt of appointment letter due to postal delay or other reasons.

10. अगर आप बताई गई तिथि तक उक्त पते पर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो नियुक्ति का यह प्रस्ताव स्वतः निरस्त हो जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी अनुवर्ती पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. If you fail to join above - mentioned address by due date, this offer of appointment will stand cancelled automatically and no further correspondence will be entertained

संलग्न: उपरोक्तानुसार

Encl: As above



Sanjiv Kumar
Sanjiv

वास्ते महानिरीक्षक मुख्यालय (विशेष संक्रिया)
सीमा सुरक्षा बल, छत्तीसगढ़
For IG (Spl Ops) BSF Chhattisgarh
HQ Spl Ops BSF Chhattisgarh

वितरित:-

आर० टी० सी० सीसुबल, छावला :
नई दिल्ली
पिन - 110071

महामा बल मुख्यालय, कार्गिल विदेशालय: भर्ती अनुभाग के पत्र संख्या 750-82 दिनांक 11 फरवरी 2021 एवं बल मुख्यालय प्रशिक्षण विदेशालय से सूचना नं० 33/3/BRT/Trg/BSF/1368 दिनांक 04 फरवरी 2021 के संदर्भ में सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
BORDER SECURITY FORCE



भारत सरकार
गृह मंत्रालय
सीमा सुरक्षा बल

राजेशवर कुमार
RAJESHWAR KUMAR
आरक्षक
CONSTABLE



I Card / Personal No
170900791
Blood Group
O +ve



Issuing Authority
DIG (G) NB FTR

BSF : INDIA'S FIRST LINE OF DEFENCE

ADDRESS:

Vill- Funda, PO- Achoud, PS- Runchrai,
Teh- Gunderdehi, Distt- Balod, (Chhattisgrah),
PIN- 491223

IDENTIFICATION MARK:

A black mole on the left side nose.

PHONE: 9284734047

PHONE (NOK): 8717974924

If found, please return to:

Border Security Force, 10 CGO complex,
Lodhi Road, New Delhi - 110003
Contact No: +911124360922

UNIT/HQ

137 BN BSF

Date of issue:

09/09/2020

Valid upto

31/08/2030

BSF IDENTITY CARD
(NON-TRANSFERABLE)

Helpline No. of STC BSF NB, Jalpaiguri (WB) - 0353-2950211
Helpline No. of HQ (Spl Ops) BSF Bhalal, Chhattisgarh - 0788-2265291

सौ कार्मिक (सर्ती-अनु०) आरक्षक (बीडी- महिला- 2018)/सहायक/महानिरीक्षक (विशेष सक्षिया/उ.म./2021/
No. Pers (Rectt-Soc)/CT (GD-Male/Female-2018/55C/IG (Spl-Ops) CG/2021/ 1052-53

भारत सरकार
Government of India
गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
कर्मचारी महानिरीक्षक सामरिक मुख्यालय (विशेष सक्षिया) सीमा सुरक्षा बल (सर्ती-अनु०)
Headquarters Inspector General (Spl Ops), Border Security Force, Chhattisgarh
(कार्मिक - सर्ती अनुभाग)
(Pers Recruitment Section)

डी एस पी उद्यम माध्यमिक विद्यालय परिसर/ BSR HS School Building,
एन बी, जेड मरोडा-उत्तर शाखा के विपरीत/Opp SBI Maroda-Utal Br
रिसाली सेक्टर (कियाई)/ Risali Sector (Orissa)
जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़)/ Distt-Durg (C.G) - 490006
दिनांक / Dated the 05 Mar 2021

Roll No. 6205004746
JHAMIT D/o DEVI PRASAD
VPD- PAIRI, TAH - GUNDERDEHI, DISTT- BALOD (CG)
PIN -491222

सीमा सुरक्षा बल में आरक्षक (बीडी/महिला) पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव
OFFER OF APPOINTMENT FOR THE POST OF CONSTABLE (GD/FEMALE) IN BORDER SECURITY FORCE

सीमा सुरक्षा बल में आरक्षक (बीडी) पदों 2018 के लिए आपकी आवेदन के संबंध में।
Refer your application for recruitment in BSF for the post of Constable (GD) 2018

2. सीमा सुरक्षा बल में आरक्षक (बीडी) पद के लिए आपके द्वारा दिए गये आवेदन एवं सर्ती संबंधी विभिन्न चरणों में निर्धारित परीक्षाएँ उत्तीर्ण होते के उपरान्त, मुझे आपका यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि आपको दसक आरक्षक (बीडी/महिला) पद पर दसकमान पी.बी. - 1 को 5,200-20,200 पेंड वेतन + 2,000 (पुनर्गठित दसकमान स्टाफ वेतन आयोग के वेतन संयोजन - 3 अर्थात् 21,700 - 69,100) हेतु अस्थायी (प्रोविजन्सरी) तौर पर किन्तु भेजा है।

2. With reference to your application for the post of Constable (General duty) in BSF and consequent upon qualifying the prescribed recruitments tests at various stages, I am directed to inform you that you have been provisionally selected for the post of Constable (GD) in the pay scale of Pay Band - 1, Rs. 5,200-20,200/- with grade pay Rs. 2,000/- [revised pay scale after 7th EPC, Pay matrix level -03, 21700 - 69100]

3. उम्मीदवार पद पर आपकी नियुक्ति निम्नलिखित सर्ती एवं शर्तों के अधीन होगी -
Your appointment to the above post is subject to the following terms and conditions:-

- (क) आप सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 एवं नियम 1969 तथा संशोधित केन्द्र सरकार के अन्य आदेशों तथा संशय-समय पर लागू होने वाले नियमों एवं विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे।
- (ख) You will be governed by the provisions of BSF Act-1968 and Rules - 1969 and other Central Government Orders, Rules and Regulations as applicable and amended from time to time
- (ग) सरकार ने आप दो वर्षों की अवधि के लिए परिवर्तनीय होगी, जिसे निष्पक्षता द्वारा अपनी अवधि अथवा अवधियों के लिए बढ़ाया जा सकता है। जिसकी कुल अवधि की अधिकतम सीमा 01 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है, ऐसा किये जाने का कारण लिखित रूप में दर्ज किया जायेगा। परिवर्तनीय अवधि के दौरान, यदि किसी कारणवश नियुक्ति अधिकारी के मत में आप वन के कुशल सदस्य बन पाने के योग्य नहीं पाये जाते हैं तो बिना कोई कारण बताए अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी सेवा समाप्त की जा सकती है।
- (घ) Initially you will be on probation for a period of two years, which may be extended by the appointing authority for such further period or periods not exceeding one year, for reasons to be recorded in writing. During the period of probation, if the appointing authority considers that you are not likely to become an efficient member of the Force due to any reason, your services can be terminated without assigning any reason or without any advance notice.



- (क) इस नियुक्ति से भारत के किसी भी राज्य अथवा प्रदेश में सेवा करने का दायित्व उत्पन्न है।
The appointment carries liability to serve in any part of India and abroad.
- (ख) यह पद अस्थायी है, किन्तु इतिहास में इसे अस्थायी बना दिया जाने की संभावना है। यदि अस्थायी पद को उन्मूलन हो जाता है तो इसे ही पद को कौतुं अस्थायी बनाए जायकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
The post is temporary but liable to be made permanent in due course, in case the temporary post is abolished, your services shall be terminated without prejudice to any re-employment.
- (ग) आपको नियुक्ति अवधि में प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। यदि आप अपनी सेवा के 10 वर्षों के भीतर, केन्द्र या राज्य सरकार अथवा अन्य संघीय शिवालय द्वारा दिये गये अधिकारी के नियुक्ति पत्र परमाणु को स्वीकार करने के लिए जिसके लिए आपको केन्द्र सरकार से पद प्राप्त किया गया है, या किसी अन्य कारण से सेवा-व्यय का आदेश प्राप्त करते हैं तो ऐसे में आपके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है, या किसी अन्य कारण से सेवा-व्यय का आदेश प्राप्त करते हैं तो ऐसे में आपके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। यदि उक्त समय तक आपके तीन महीने की सेवा पूर्ण नहीं हुई हो तो ऐसे में आपके तीन माह के सेवा व्यय को आपकी सेवा-व्यय से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि उक्त समय तक आपके तीन महीने की सेवा पूर्ण नहीं हुई हो तो ऐसे में आपके तीन माह के सेवा व्यय को आपकी सेवा-व्यय से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि उक्त समय तक आपके तीन महीने की सेवा पूर्ण नहीं हुई हो तो ऐसे में आपके तीन माह के सेवा व्यय को आपकी सेवा-व्यय से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (घ) You will undergo basic recruit training as per prescribed period. In case, you tender resignation from service within a period of 10 years for reasons other than accepting a job under Central/ State Govt. or local bodies for which cadre clearance has been granted, your resignation will be accepted only after refunding training cost or 3 months' pay and allowances last drawn by you or if you have not completed three months service on the basis of pay and allowances to which you are entitled in the month in which you tender your resignation whichever are higher.

4. नियुक्ति के अतिरिक्त आपकी नियुक्ति पर निम्नलिखित शर्तों को लागू होगा।
Your appointment will be further subject to:

- (क) सीमा सुरक्षा बल नियम 1969 के नियम 7 का उल्लंघन जिसके अनुसार न कोई भी व्यक्ति -
(a) Provision of Rules 7 of BSF Rules 1969 which envisage that no person:-
 - (i) जिसने किसी दम दायित्व / महिला के साथ विवाह किया है अथवा करने का अभ्युष किया है, जिसका प्रतिफल उत्पन्न है, या
Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living or
 - (ii) जिसने अपनी पत्नी / पति के जीवन रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है अथवा विवाह करने का अभ्युष किया है, इन में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि केन्द्र सरकार इसके बात से संतुष्ट न हो जाए कि उस व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष के लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) के अनुसार वह विवाह वैध है अथवा कोई अन्य आधार मौजूद है जो ऐसा करने वाले व्यक्ति को इस नियम के प्रभाव से मुक्त रखता हो।
Who, having spouse being, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment in the force, provided that the Central Govt. may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this Rule.
- (ख) भारत के संविधान के प्रति निष्ठा / वफादारी की शपथ - चरण (यदि महिला काम में की गई दम अथवा दम घोषणा)।
Taking of an oath of allegiance/fidelity to the constitution of India for making of a solemn or affirmation to the effect as prescribed form.
- (ग) अस्थायी से ही किसी भी शर्त के पूरा नहीं होने की स्थिति में आपके द्वारा टाकर किसी भी शर्त अथवा अनुमति के दावे पर विचार द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
In case, any of above conditions is not fulfilled, the department will not entertain any claim for damages and other losses suffered by you.
- (घ) नियुक्ति औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आपको अनुच्छेद - 7 में दिये गये पत्र पर निम्नलिखित जानकारी को मूल रूप में तथा उन्हें से प्रत्येक की राजस्वित अधिकारी द्वारा अधिमार्गित की हुई एक-एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।
You will required to produce following original documents alongwith a photocopy of each duly attested by a Gazetted officer to address as mentioned at para No. 7 below for completing appointment formalities:-
 - (i) शिक्षा तथा अन्य तकनीकी योग्यताओं के प्रमाण - चरण।
Certificate of education and other technical qualifications.
 - (ii) आयु प्रमाण के रूप में मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष शिक्षा का प्रमाण - चरण।
Matriculation or equivalent certificate as proof of age.

- (a) यदि आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग में आते हैं तो तहसीलदार/उप-मंडलीय अधिकारी/उपमंडलीय मजिस्ट्रेट अथवा उनसे वरिष्ठ किसी अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- (b) If you belong to SC/ST/OBC category then produces SC/ST/OBC Certificate issued by Tehsildar/SDO/SDM and above.
- (c) यदि आप किसी सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी संगठन में सेवारत हैं तो, आपके मूल विभाग द्वारा निहित प्रारूप में जारी किया गया सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र।
- (d) If you are serving in Government/Semi Government service, Discharge/ release certificate from parent department in the prescribed format.
- (e) तहसीलदार/उप-मंडलीय अधिकारी/उपमंडलीय मजिस्ट्रेट अथवा उनसे वरिष्ठ किसी अधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल निवास, (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र।
- (f) Domicile certificate issued by Tehsildar/SDO/SDM and above.
- (g) जिला मजिस्ट्रेट/उपमंडलीय मजिस्ट्रेट अथवा उनसे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में जारी किया गया चरित्र एवं पूर्ववृत्त प्रमाण पत्र।
- (h) Character & antecedent's certificate form District Magistrate or Sub Divisional Magistrate or their Superior Officer as per prescribed proforma attached hereto.

(i) यह नियुक्ति शोचनीयता पर पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा उपरोक्त शर्तों के अधीन है साथ ही साथ यह उचित माध्यम द्वारा चरित्र एवं पूर्ववृत्त, शिक्षा तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति प्रमाण - पत्र के संतोषजनक सत्यापन के शर्तार्थीन भी है। यदि सत्यापन से यह ज्ञात होता है कि आपका अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित होने का दावा अथवा शिक्षा का दावा वा कोई भी अन्य दावा ही सही ग्राह्य नहीं है और आपका चरित्र और पूर्ववृत्त संतोषजनक नहीं है तो भारतीय दंड संहिता के साथ - साथ सीमा सुरक्षा बल अधिनियम व नियम में भूले प्रमाण - पत्र और सूचना प्रस्तुत करने के लिए किए गए उपबंध के आधर पर बिना कोई कारण बताए अपनी सेवा अविलम्ब समाप्त कर दी जाएगी।

(e) The appointment is provisional and purely on temporary basis subject to the conditions mentioned above and your character and antecedents, education and the caste/tribe/OBC Certificate being verified through proper channel. If the verification reveals that any of your claim/information is false and belonging to SC/ST/OBC category and education is false and character and antecedents is not satisfactory your service will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions in Indian Penal Code as well as BSF act and rules for production of false certificates and information.

(घ) आप निम्नलिखित दस्तावेजों को भी साथ लेकर आएं:-

(e) You should also bring following:-

- (i) पासपोर्ट आकार के चार नवीनतम फोटो।
- (ii) Four latest passport size photographs.
- (iii) मेस सिक्यूरिटी आदि के दुगुनाज हेतु ₹ 5000/- (पांच हजार रुपये)।
- (iii) Rs. 5000/- (Rupees five thousand) only for Mess Security advance etc.
- (iv) ठहरने के लिए इन्का बिस्तर तथा अन्य आपके उपयोग में आने वाली चीजें तथा अन्य सर्वे हेतु पर्याप्त पैसा।
- (iv) Light Bedding for stay with sufficient money for other expenses.
- (v) बचत खाता पास बुक जिसमें भारतीय स्टेट बैंक का ए.टी.एम सहित खाता संख्या दर्ज हो। बैंक के पूरे पत्रा सहित।
- (v) Saving account pass book having State Bank of India account number with ATM facility.
- (vi) स्वयं का नाम पर जारी जेनरल करंट अकाउंट पासबुक।
- (vi) AADHAR Card and PAN CARD of individual.
- (vii) अन्य आवश्यक सामग्री।
- (vii) Any other essential items.

5. आप जनवरी 2004 से केन्द्रीय सेवा में नए प्रवेशित लोगों की लिए लागू राष्ट्रीय पुनर्गठित "परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली" के अनुसार पेंशन के लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे। जतः आपको अपनी नियुक्ति की तिथि से अपने वेतन तथा महंगाई भत्ता के 10 प्रतिशत के बराबर राशि का अंशदायी अंशदायी पेंशन प्रणाली में करना होगा।

5. You are entitled to get pensionary benefits as per new restructured "DEFINED CONTRIBUTORY PENSION SYSTEM" applicable for the new entrants to the Central Government service from Jan 2004. Therefore, you would make monthly contribution @ 10% on the basic pay and DA towards the National Pension System from the date of appointment.

6. यदि आपके द्वारा की गई घोषणा/दी गई सूचना झूठी पाई जाती है और यह प्रमाणित होता है कि आपके द्वारा जानबूझ कर तथ्यों को छिपाया गया है तो आपके विरुद्ध सीमा सुरक्षा बल के नियम-अधिनियम के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

6. If the declaration/information furnished by you are found false and proved willfully suppressed materials of facts. You will be put on disciplinary action under BSF Act and Rules.

7. बीमा बीरका बल में ज्वारिंग से पूर्व आपका चिकित्सा परीक्षण सीमा सुरक्षा बल के महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा तब तक आपके मुख्य चिकित्सा परीक्षा एवं बीमा सुरक्षा बल में ज्वारिंग की अवधि के मध्य किसी प्रकार की बीमारी, अपंगता, दुर्घटना आदी का भयावहता का भय। चिकित्सा परीक्षण में किए गए खर्च पर ही आपको ज्वारिंग दिया जाएगा।

7. This will be examined by Medical officer to detect/discover any disease/disability/accidental injury acquired during the intervening period of initial medical examination and the date of joining and you will be allowed to join only on being found "FIT"

8. यदि उपर के अनुच्छेदों में वर्णित शर्तों के अनुसार आप नियुक्ति - प्रस्ताव को स्वीकार करने के इच्छुक हैं तो आपको सहाह दी जाती है कि आप निम्नलिखित स्थान पर दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को संलग्न प्रारूप में जिला मजिस्ट्रेट या उप - मंडलीय मजिस्ट्रेट या उनके संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी करियर एवं पूर्ववृत्त प्रमाण पत्र के साथ रिपोर्ट करें :-

8. If you are willing to accept this offer of appointment, as per terms and conditions laid down in preceding paragraphs you are advised to report to following place on 01 April' 2021 alongwith Character and Antecedents certificate form District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate or their Superior Officers as per proforma enclosed hereto:-

सहायक प्रशिक्षण कोच, सीमा सुरक्षा बल, बैकुण्ठपुर पो- सालुगारा, जिला- जलपाईगढ़ी राज्य - पश्चिम बंगाल पिन - 734402	STC BSF North Bengal, Balkuntpur, PO- Salugara, Distt- Jalpaiguri (West Bengal) Pin- 734402.
--	--

9. डाक विभाग की गलती से जयवा किसी अन्य कारण से नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं होने की अवस्था में यह कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

9. This office will not be held responsible for non-receipt of appointment letter due to postal delay or other reasons.

10. अगर आप बाहरी गड़बड़ी तब तक उक्त पते पर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो नियुक्ति का यह प्रस्ताव स्वतः निरस्त हो जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी अनुवृत्ती प्रक्रिया पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. If you fail to join above - mentioned address by due date, this offer of appointment will stand cancelled automatically and no further correspondence will be entertained

संलग्न: उपरोक्तानुसार

Encl: As above



प्रतिरिक्ति:-

सहायक प्रशिक्षण कोच,
सीमा सुरक्षा बल, बैकुण्ठपुर
पो- सालुगारा,
जिला- जलपाईगढ़ी
राज्य - पश्चिम बंगाल
पिन - 734402

Signature

संज्ञक महानिरीक्षक मुख्यालय (विशेष सक्षम)
सीमा सुरक्षा बल, चत्तिसगढ़
For IG (Spl Ops) BSF Chhattisgarh
HQ Spl Ops BSF Chhattisgarh

कृपया बल मुख्यालय, कार्यालय निदेशालय नारी अनुभाग के पत्र संख्या 750-82 दिनांक 11 फरवरी 2021 एवं बल मुख्यालय प्रशिक्षण निदेशालय के सूचना सं. 33/3/BSF/Ttg/BSF/1368 दिनांक 04 फरवरी 2021 के संदर्भ में सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई करें।

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL : HQ (SPL OPS) BSF BHILAI, DISTT- DURG (CG)

//GENERAL INSTRUCTIONS//

Sub:- RECRUITMENT FOR THE POST OF CONSTABLE (GD) IN CAPFS, ARS, NIA AND SSF THROUGH SSC EXAMINATION 2018 : GENERAL INSTRUCTION TO JOIN IN BORDER SECURITY FORCE.

01. GENERAL

It is to inform you that you have been provisionally selected for the post of Constable (GD) in BSF in revised pay scale after 7th CPC pay matrix level-3 Rs. 21700-69100) and other allowances admissible under rule. You are hereby directed to join Border Security Force on 01 April' 2021 at STC BSF North Bengal, Baikuntpur, PO- Salugara, Distt- Jalpaiguri (West Bengal) Pin- 734402.

02. AIM

The aim of this General Instruction is safe and secure Journey of the candidate to join in Border Security Force.

03. LOCATION

You may be join the Border Security Force at STC BSF North Bengal, Baikuntpur, PO- Salugara, Distt- Jalpaiguri (West Bengal) Pin- 734402 on 01 April' 2021 alongwith the other documents as mentioned in the Offer of appointment attached with this letter.

04. Nearest Railway Station and mode of conveyance

The nearest railway station from STC BSF Kadamtala is New Jalpaiguri (NJP). You may be started your journey from your nearest railway station to New Jalpaiguri Railway station and further Railway station New Jalpaiguri to STC BSF NB (Baikunthpur) – by bus (total distance from NJP R/Station to STC NB is appx 18 Km.

05. Helpline No.

The helpline No. of STC BSF NB to provide any assistance is 0353-2950211.

06. Precaution

Keeping in Covid-19 pandemic situation, it is to inform that you must be join in BSF after having negative test report of Covid-19 and same may be produced to STC BSF NB after joining the Force.



J. Anand
6/3/21

For Inspector General
HQ (Spl Ops) BSF CG

LAQSH HO/SSA-CG/2020-21/008

The Principal
22152914710 – Govt.H.S.S Jaibel
Bastar District
Email: govt.hssjaibel710@gmail.com

Sub: Joining Of Vocational Teacher CG-BFS Sector appointed under CSS for VSHSE (aka NSQF) under the Centrally Sponsored Scheme of "Vocationalisation of Higher Secondary Education Programme".
Ref: SSA Chhattisgarh Memo No: S. No/843/SS/V.E/2020-21/F-SCN, Raipur, Dated 02/11/2020

Respected Sir/Madam,

This is to inform you that **Laqsh Job Skills Academy Private Limited, Bangalore** is an empanelled Vocational Training Provider of **Samagra Shiksha Abhiyan, Chhattisgarh** to appoint teachers and facilitate introduction of the Vocational Training Program for **Banking & Finance** Sector in your school.

In this connection, we are happy to inform that **Mr. Than Singh Sahu, S/o Shri. Ramnarayan Sahu**, has been appointed as a Vocational Teacher for **Banking & Finance** by Laqsh Job Skills Academy Private Limited based on a selection process. He has now been directed to report to you from **March 23, 2021 by 9:00 A.M**


Mr. Than Singh Sahu's period of employment is

Date of Joining: March 23, 2021

He will be under your administrative control for day-to-day management and required to teach the applied skill in Banking & Finance Sector. He will also take/organize activities in the subject in which he has been appointed and will also be required to send weekly report under your signatures as required by the CSS for VSHSE Program.

We request you to allow him to join your institution accordingly and send the report regarding him joining to the following:

Yours Sincerely



Vanamamalai Kannan
HR Department
Laqsh Job Skills Academy Pvt. Ltd
www.laqsh.com

Signature of The Principal
Name of the Principal
Contact Number of the Principal
Email Id of the Principal
Seal

// कार्यालय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमधा जिला-दुर्ग (छ.ग.) //

Email Id - eghssdhamdha2016@gmail.com

Mo.No. 9407759799

झाप क्रमांक /171/ कार्यभार/ व्याख्याता(न.नि.)/2018-19

धमधा दिनांक 02/08/2018

प्रति

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,

नगर पंचायत, धमधा

जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय- श्री सत्यपाल ठाकुर व्याख्याता न.नि. को कार्यभार कराकर जानकारी भेजने के लिए ।

संदर्भ- आपके कार्यालय का पृ.क्र./339/शि.वि./सा.प्र./व्या.न.नि.भर्ती/2018 धमधा दिनांक 24.07.2018 एवं कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, धमधा का झाप क्र./747/प्रमाण पत्र/2018 धमधा दिनांक 25.07.2018 के अनुसार

.....00.....

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि श्री सत्यपाल ठाकुर पिता श्री छविलाल ठाकुर निवासी कलंगपुर विकासखण्ड गुणरदेही जिला बालोद का व्याख्याता (नगरी निकाय) विषय रसायन को पद पर प्रथम नियुक्ति हुआ है । संबंधित को उच्च कार्यालय के निर्देशानुसार आज दिनांक 28.07.2018 को पूर्वाह्न में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमधा में कार्यभार ग्रहण कराया गया जिसकी जानकारी आपकी ओर भेजी जा रही है ।

अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ संप्रेषित ।

संलग्न :- कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन की प्रति ।

पृष्ठा क्रमांक /172/ कार्यभार/ व्याख्याता(न.नि.)/2018-19

प्रतिलिपि :-

1. कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित ।
2. कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी धमधा की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित ।
3. संबंधित श्री सत्यपाल ठाकुर व्याख्याता(न.नि.) को सादर सूचनार्थ संप्रेषित ।

PRINCIPAL
शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
Dhamdha, Distt. Durg (C.G.)
जिला दुर्ग (छ.ग.)

धमधा दिनांक 02/08/2018

PRINCIPAL
शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
Dhamdha, Distt. Durg (C.G.)



कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक
OFFICE OF THE DEPUTY INSPECTOR'S GENERAL OF POLICE,
 ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु.बल, कोटा रोड, भरनी, बिलासपुर छत्तीसगढ़-495112
GROUP CENTER, CRPF, KOTA ROAD, BHARNI, BILASPUR (C.G)-495112
 E-Mail ID : gcbls@crpf.gov.in

संख्या:आर-दो-1/2021-भर्ती सेल

दिनांक 12 फरवरी '2021

सेवा में,

रोल नं. -6205201270

नाम -KRISHNA KUMAR

पता -VILL- MUNDERA, POST-KALANGPUR, TEH-GUNDERDEHI,
 DISTT-BALOD, STATE-CHHATTISGARH, PINCODE-491223.

विषय :- के.रि.पु.बल में सिपाही/जीडी (पुरुष) के पद पर भर्ती हेतु अस्थाई (Provisional) नियुक्ति प्रस्ताव ।

आपको यह अवगत कराया जाता है कि, कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा वर्ष-2018 में सिपाही/जीडी के पद पर आयोजित की गई भर्ती प्रक्रिया में उत्तीर्ण होने के उपरांत आपको केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही/जीडी के तौर पर आवंटित किया गया है। परिणामत् आपको सिपाही/जीडी के पद पर भर्ती हेतु अस्थाई (Provisional) नियुक्ति प्रस्ताव दिया जाता है। यद्यपि भविष्य में इस पद पर नियुक्ति स्थायी की जा सकती है।

2. इस पद पर आपको सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के लिए परियोज्य लेवल-3 के न्यूनतम वेतन (रु.21,700-69100) एवं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मचारियों को समय-समय पर मिलने वाले महंगाई भत्ते एवं अन्य सभी भत्ते देय होंगे तथा आप भारत सरकार द्वारा दिनांक 01/01/2004 से लागू नई पेंशन योजना के अंतर्गत इस बल में नियुक्त किए जाएंगे, जिससे आपके मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत कटौती की जाएगी और इस रकम के बराबर सरकार द्वारा आपको अंशदान प्रदान किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त नियुक्ति की अन्य शर्तें निम्नलिखित हैं :-

- क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियमावली 1955 के नियम 16 के अन्तर्गत प्राधिकारी के द्वारा आपकी सेवा प्रारंभिक अवधि अर्थात् 02 वर्ष के अंदर एक महीने की नोटिस जारी करने के बाद बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।
- ख) यह नियुक्ति अखिल भारतीय आधार पर है। आपको भारत के किसी भी भाग में सेवा के लिए तैनात किया जा सकता है एवं आवश्यकता पड़ने पर आपको देश के बाहर भी सेवा के लिए नियुक्त किया जा सकता है।
- ग) इस बल में आपकी नियुक्ति होने पर आप केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम-1949 तथा केरिपुबल, नियमावली-1955 (समय-समय पर संशोधित), केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली (सीसीएस नियम) भारत सरकार द्वारा इस विभाग हेतु जारी अन्य अनुदेशों/आदेशों के तहत अधिशासित होंगे।
- घ) नियुक्ति के उपरांत आपको केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में जहां आपको नामित किया जाएगा वहां बुनियादी प्रशिक्षण लेना होगा। यदि आप सफलतापूर्वक बुनियादी प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं तो आपकी सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।

Raipur Diocese Educational Society

Khristbandhu Niwas, Byron Bazar, RAIPUR-492001 (C.G.) INDIA
Tel.: 0771-2429946 / 2423995



APPOINTMENT CUM TERMINATION ORDER

Ref: RDES/EST/APP/ 024/2016


Date: 30/08/2016

Mrs. Neetu Sahu w/o. Mr. Vedprakash Sahu is appointed as L.D.T from 04. 07. 2016 to 30. 04. 2017 at St. Mary's English Medium School Dhamtari. This appointment is purely on Adhoc basis and after the expiry of the above stipulated period your services will automatically stand terminated and also in between the Management will have the right to terminate your services at any time without assigning any reason for the same. Terms, conditions and rules prevailing at present and in future will be binding on you. Your pay shall be as per the agreement made by the management with you.


Director

Cc. The Manager/Principal


DIRECTOR,
Raipur Diocese Educational Society,
Khristbandhu Niwas,
Byron Bazar, RAIPUR-492001


Director

Agreed upon by the Employee

Signature of the Employee 

DIRECTOR,
Raipur Diocese Educational Society,
Khristbandhu Niwas,
Byron Bazar, RAIPUR-492001



Affiliated to CBSE, New Delhi
Affiliation No. : 3330199

Arise. Awake. Achleve

Letter of Appointment

1st June 2017

Ms. Nitu Sahu
Dhamtari, C.G

Dear Ms. Nitu,

With reference to your acceptance of our offer, we congratulate you on your appointment as PPRT w.e.f 01.06.2017 with an Employee ID No:105 at Abhyuday School promoted by Sudha Devi Trust^(R). The terms and conditions of your employment will include following:

Salary and Perquisites:

Your monthly Gross will be Rs.15,000/- (Fifteen Thousand Rupees Only). You will receive perks & benefits as per school management policies. You are eligible for salary of summer vacation only in case if you attend the school.

Job Responsibilities:

You will be required to perform duties as detailed in the Job Description given as Annexure- A for your position. You will be reporting to the authorities as explained in Annexure- A or whomsoever the Principal nominates.

Probation:

You will be on probation for a period of one year from the date of your joining. The School Management, at its absolute discretion, may extend the period of probation by a further period not exceeding one year.


Confirmation:

If the work and conduct of an employee during the period of probation are found to be satisfactory, he / she will become eligible for confirmation on the expiry period of probation or the extended period of probation as the case may be, with effect from the date of expiry of the said period provided he / she fulfils the other requisite conditions. The employee shall be informed, in writing, by the School Management, of his / her confirmation within three months of completion of the said probation period.

Sudha Devi Trust's
ABHYUDAY SCHOOL

Sarodha Canal Road, S. H. 9, Ghothiya Village,
Kawardha, Chhattisgarh, India - 491995
P : 07741-233233, F : 07741-233233,
M : 94252 15131, E : share@abhyuday.edu.in

W www.abhyuday.edu.in



Arise. Awake. Achieve

Affiliated to CBSE, New Delhi
Affiliation No. : 3330199

Ref: STD/AS/17-18/HR/AL/5
Neetu Sahu
Near Primary School Gokulpur
Dhamtari (C.G) Pin-493773

11/04/2017

Dear Ms. Neetu Sahu,

Subject: Offer for the post of PPRT at Abhyuday School Kawardha .

Thank you for your time and enthusiasm during the interview. We are sure that you will be excellent addition to the team and it will be our privilege to have you on board.

Please note that the employment is governed by provisions of rules and regulations, service conditions and code of conduct of the institution prevailing at present and as may be laid down from time to time.

i) Appointment:

- a. Your appointment takes affect from 01/06/2017. You will be reporting to the authorities in the institution as mentioned in your job Description in the appointment letter. Your reporting is subject to change at the sole discretion of the Management. Other details of your work have been explained in detail in the job description furnished in the appointment letter.

ii) Remuneration:

Details of the remuneration, allowances and benefits offered to you are **STRICLY CONFIDENTIAL** and mentioned in the Appointment Letter. Increments and any revision will be as per the policy of the school.

iii) Verification of Documents

- a. You are required to submit all the academic credentials, experience certificates, salary slip (bank statement) and relieving letter before joining in order to verify the legitimacy. In case of any deception or prevarication the offer can be terminated without any notice.
- b. You are required to submit at least two references with whom we can confirm about the authenticity of your previous employment. Furnished references will be verified.

Sudha Devi Trust's
ABHYUDAY SCHOOL

www.abhyuday.edu.in

Sarodha Canal Road, S. H. 9, Ghothiya Village,
Kawardha, Chhattisgarh, India - 491995
P : 07741-233233, F : 07741-233233,
M : 94252 15131, E : share@abhyuday.edu.in



CHHATTISGARH POLICE

NAME -SANJEEV KUMAR THAKUR
S/O -BHIKHAM LAL THAKUR
RANK - CONSTABLE 832
D.O.B. - 15-11-1989
D.O.J. -01-09-2012
B/GROUP -O+
UNIT -7th ,B.N. C.A.F BHILAI [C.G.]
MO. -9691363922,9869438793



COMMANDANT
7th B.N. C.A.F.
BHILAI [DURG]
[C.G.]



CHHATTISGARH ARMED FORCE

REGISTRATION CERTIFICATE CUM IDENTITY CARD

NAME SEWAK DAS TANDAN
SON OF Shri ARJUN SINGH TANDAN
RANK CONSTABLE-844
D.O.B. 10-07-1990
D.O.A. 01-09-2012
BIGROUP O+ve
ADDRESS - 7TH B.N.C.A.F. BHILAI
DIST. DURG [C.G.]



MOB. NO. 7879108586

HAS BEEN APPOINTMENT A MEMBER OF THE POLICE FORCE
UNDER ACT OF 1861 AND IS VESTED WITH THE POWERS
FUNCTION AND PRIVILEGES OF A POLICE OFFICER.

// कार्यालय जनपद पंचायत बालोद जिला-बालोद (छ.ग.) //

// आदेश //

क्रमांक 2144/ज.पं./स.शि.पं./नियमितिकरण/2013

बालोद दिनांक: 26/12/13

छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षाकर्मी (गर्ती तथा रोवा की शर्तों)नियम 2007 में बनाये गये नियम तथा जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन स्थायी समिति की बैठक दिनांक: 19.12.2013 में पारित प्रस्ताव अनुसार नीचे उल्लेखित परीक्षाधीन सहायक शिक्षक(पंचायत) जिनकी रोवा अवधि दो वर्ष पूर्ण हो गये है उनकी परीक्षाअवधि समाप्त कर नियमित वेतनमान 3800-100-5800 पर नियमित किया जाता है।

क्र.	नियमित किये गये शिक्षा कर्मी का नाम	कार्यरत शाला	प्रथम नियुक्ति तिथि	नियमिति करण हेतु तिथि	विभाग
1	श्री किरण कुमार	शा.प्रा.शाला हथौद	14.07.2011	14.07.2013	शिक्षा विभाग
2	श्री लेखेन्द्र कुमार	शा.उ.मा.शाला लिमोरा	14.07.2011	14.07.2013	शिक्षा विभाग
3	श्री विकास देशमुख	शा.उ.मा.शाला ज.सांकरा	14.07.2011	14.07.2013	शिक्षा विभाग
4	श्री चोवा राम	प्री.मै.छा.बा.आ.पीपरछेडी	14.07.2011	14.07.2013	शिक्षा विभाग
5	क. शिल्पा	शा.उ.मा.शाला ज.साकरा	14.07.2011	14.07.2013	शिक्षा विभाग
6	श्री तामेश्वर	शा.उ.मा.शाला क.निपानी	13.07.2011	13.07.2013	शिक्षा विभाग
7	क. चन्द्रकिरण गेडाम	शा.उ.मा.शाला लाटाबोड	13.07.2011	13.07.2013	शिक्षा विभाग
8	श्री लोमन सिंह	शा.उ.मा.शाला पोण्डी	18.07.2011	18.07.2013	शिक्षा विभाग
9	क. भारती मानकर	शा.प्रा.शा.नेवारीकला	14.07.2011	14.07.2013	शिक्षा विभाग
10	श्री डिकेन्द्र कुमार	शा.प्रा.शाला दर्सीटोला	13.07.2011	13.07.2013	शिक्षा विभाग
11	श्री अनिरुद्ध साहू	प्री.मै.बा.आ.छा.बरही	14.07.2011	14.07.2013	शिक्षा विभाग
12	क. संध्या वर्मा	शा.हाई स्कूल क. खपरी	19.08.2011	19.08.2013	शिक्षा विभाग
13	श्री डोमोन्द्र कुमार	शा.प्रा.शाला निपानी	12.08.2011	12.08.2013	शिक्षा विभाग
14	श्री महेश्वर	शा.प्रा.शाला भे.नवागांव	16.08.2011	16.08.2013	शिक्षा विभाग
15	श्री साखी राम	शा.प्रा.शाला पीपरछेडी	16.08.2011	16.08.2013	शिक्षा विभाग
16	क. कुन्ती कश्यप	प्री.मै.बा.आ.छा.अमलीडीह	19.08.2011	19.08.2013	शिक्षा विभाग
17	श्री हेमन्त कुमार	शा.प्रा.शाला मेढकी	12.08.2011	12.08.2013	शिक्षा विभाग
18	श्री किशोरी लाल	शा.प्रा.शाला निपानी	12.08.2011	12.08.2013	शिक्षा विभाग

अति मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
शिक्षा जनपद पंचायत बालोद

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत बालोद.

पृ.क्र. 2144/ज.पं./स.शि.पं./नियमितिकरण/2013

बालोद दिनांक: 26/12/2013

प्रतिलिपि:-

- माननीय कलेक्टर महोदय, बालोद, जिला-बालोद को सादर सूचनार्थ-सम्प्रेषित ।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, बालोद को सूचनार्थ ।
- शाला प्रमुख श्री / श्रीमती / क. निपानी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
- संबंधित शिक्षाकर्मी श्री / श्रीमती / क. तामेश्वर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत बालोद.

उनकी कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से व्यक्तियों(पदाधारी) के पद पर वेतनमान 5300-150-8300 में अतिरिक्त शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से पदस्था किया जाता है। उपरोक्त दिनांक से व्याख्याता (पदाधारी) का वेतनमान देय होगा।

उपरोक्त शासन पदाधारी एवं प्राणीय विकास विभाग महालय महानदी भवन नया रायपुर को पत्र क्रमांक / 172 / अनुसु / पंचायति / 2016 / नया रायपुर दिनांक 17.05.2016 द्वारा शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के बालक-शैक्षिक प्रकल्प प्रदी के अन्तर्गत शिक्षा प्रदी पर पदस्थापना की गई है।

उक्त सीधी भर्ती से भर्ती हेतु निर्धारित आवश्यक विषयों एवं शिक्षाकालों हेतु निर्धारित आवश्यक विषय का पालन किया गया है।

क्रम का क्रम	आस्थापना का प्रकार	शिक्षक	संवर्धित अध्यापी का नाम	पिता / पति का नाम	वर्ग	पदा	पदस्थापना का नाम	अनुसूचित पदाधारी	विभाग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ST (F)	साधारण	शु. रीति चन्द्रवती	श्री. लालू राम चन्द्रवती	ST	गुन्बरदेही त. गुन्बरदेही जि. बालोज	शाखा प्रशा. वि. रायपुर	शाकादी	आ. जा. क. वि.

नियुक्ति की शर्तें-

1. अस्थायी नियुक्ति (उपरोक्त शाखा/पदाधारी) सार्वजनिक (पब्लिक) तथा सेवा की शर्तों) नियम के अधीन रहेगी।
2. परीक्षा- व्याख्याता(पदाधारी) के पद पर सीधी भर्ती से संवर्धित प्रत्येक अध्यापी प्रारम्भ में स्कूल विशेष के लिये दो वर्ष की परिशिक्षण पर नियुक्त किया जाता है जिसे पता एवं तक बढाया जा सकेगा, जिससे कि व्याख्याता(पदाधारी) पूरी परिशिक्षण कालावधि तक उसी स्कूल में कार्य कर सके।
3. अनुसूचित एवं नियुक्ति- व्याख्याता(पदाधारी) पदाधारी जिला पदाधारी के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन रहेगा।
4. अनुसूचित शैक्षिक आस्था में नियुक्ति- उ.प. शिक्षा(पदाधारी/पदाधारी) (पब्लिक एवं सेवा की शर्तों) दिनांक 2012 के परिशिष्ट टीप 2 (ख) के अनुसार यदि व्याख्याता(पदाधारी) के पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक प्रशिक्षण अध्यापी उपलब्ध न हो पाये तो प्रारम्भ में ए.टि.टी.ए. या सरकारी शिक्षा अध्यापी को नियुक्ति की जाती है जो दो वर्ष के अन्दर शैक्षणिक प्रशिक्षण में प्रविष्टि प्राप्त करती होगी। निर्धारित समयवधि में शैक्षणिक प्रशिक्षण को समाप्त प्राप्त प्रमाण नहीं मिले पर उपरोक्त परिशिक्षण अध्यापी समाप्त हो कर दो साल से अधिक नहीं कार्यवाही की जा सकेगी। नियुक्ति के पूर्व जिला प्रशासकीय अधिकारी के द्वारा शैक्षणिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया हो तब पर यह शर्त लागू नहीं होगी।
5. सेवा सम्बन्धी- सेवा व्याख्याता(पदाधारी) जो शैक्षिक सेवा में एक सेवाएँ का (ए.टी.टी.ए. या सरकारी शिक्षा अध्यापी) द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा व्याख्याता(पदाधारी) की नियुक्ति में एक तरह की सूचना देकर या एक तरह का वेतन तथा भत्ते का मुताबक करने पर किसी भी समय सम्बन्ध की जाने की व्यवस्था नहीं होगी।
6. सेवा की शर्तें- व्याख्याता(पदाधारी) की कार्यवधि शर्तों के दिनांक से सीधी भर्ती पदाधारी जिला पदाधारी के अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तों के समान ही होगी।
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग नियुक्ति, अनुसूचित शैक्षिक के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट राज्य सरकार के नियमों के अनुसार दी गई है। इन नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
8. नियुक्ति अस्थायी का पुनर्स्थापन विभाग द्वारा अलग से स्वरित संवर्धन करण जायगा। पुलिस विभाग से कराए गये स्वरित संवर्धन में यदि उनसे स्वरित संबंधी कोई प्रतिफल अपसंदिग्ध दिवसी प्राप्त होती है तो उनकी नियुक्ति निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
9. नियुक्ति अस्थायी के प्रमाण एवं प्रतिशिक्षण रूप से आदि नियुक्ति के समान ही गई है। यदि नियुक्ति के उपरान्त जिला प्रशासक, प्रशासकीय अधिकारी, शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति विकास विभाग द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्रों को लक्ष्य संस्था में प्राप्त जाते हैं तो नियुक्ति व्याख्याता(पदाधारी) की नियुक्ति निरस्त करने पर ही मात्र शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति का प्रमाण पत्र संस्था को सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
10. सेवा सुरक्षा का संवर्धन- नियुक्ति अध्यापी की सेवा सुरक्षा सम्बन्धित करने वाले अधिकारी के द्वारा आदेश की नियुक्ति समूची सम्बन्धित शर्तों का सम्बन्धित सेवा सुरक्षा में प्रविष्टि के रूप में दर्ज कर प्रेषित करने तथा सेवा सुरक्षा के पूरे भाग पर लाल सुट्टी से व्याख्याता(पदाधारी) जिला प्रशासक, पुलिस व्याख्याता(पदाधारी) सम्बन्धित करे है इनकी सुरक्षा एवं सेवा सम्बन्धित प्रमाण पत्रों को अलग से प्रेषित की जायेगी।
11. नियुक्ति अध्यापी को उनकी नियुक्ति शर्तों सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र अध्यापी का प्रमाण पत्र अध्यापी सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रेषित हेतु प्रस्तुत करना होगा। तथा मूल प्रमाण पत्रों के अभाव में परमाणु सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की एवं प्रति सेवा सुरक्षा में प्रविष्टि हेतु सम्बन्धित अनुसूचित पदाधारी में प्रमाण की जायेगी।
12. अनुसूचित शैक्षिक- अनुसूचित अध्यापी आदि शैक्षिक योग्यता तथा दिनांक की सेवा सम्बन्धित सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्रों के अभाव में परमाणु सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की एवं प्रति सेवा सुरक्षा में प्रविष्टि हेतु सम्बन्धित अनुसूचित पदाधारी में प्रमाण की जायेगी।
13. पदभार ग्रहण काली समय जिला प्रशासक के द्वारा जारी निर्देशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगा। एवं निरस्त अध्यापी एवं संवर्धित बोर्ड की निर्णय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगा।

13/10/16